समाचार-प्रकाषनार्थ:-

आम सहभा गता से पूरा होगा स्वच्छता का सपना
स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत नागरिक जागरुकता
कार्यक्रमों में ले रहे है बढ़चढ़ कर हिस्सा

रतलाम 10 जनवरी । राष्ट्र पता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, स्वच्छता आजादी से महत्वपूर्ण है। इस बात से स्वच्छता के महत्व को समझा जा सकता है। स्वच्छता का स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। आरोग्य को नष्ट करने के जितने भी कारण हैं, उनमें गंदगी प्रमुख है। बीमारियां गंदगी में ही पलती हैं। जहां कूड़े-कचरे के ढेर जमा रहते हैं, मल-मूत्र सड़ता है, ना लयों में कीचड़ भरी रहती है, सीलन और सडन बनी रहती है। मक्खियां एवं मच्छरों की वजह से तमाम बीमारियां बढ़ती हैं। उन्हें मारने की दवाएं छिडकना तब तक बेकार है, जब तक गंदगी को हटाया न जाए। शहर में समाज के जागरूक लोग आगे आएं और अपने आसपास रहने वालों को बताए क उनके द्वारा की गई गंदगी कस तरह से पूरे गांव को प्रभा वत करती है। व्यक्तिगत स्वच्छता से 80 फीसदी बीमारियों को दूर कया जा सकता है। र ववार को शहर के रोटरी गार्डन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत स्वच्छता अ भयान स मति अध्यक्ष श्री अनोखीलाल कटारिया ने अनेक गणमान्य नागरिकों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण अ भयान 2021 के अंतर्गत निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा लगातार शहर के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास कया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम द्वारा स्वच्छता अ भयान के तहत शहर में वशेष साफ-सफाई अ भयान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसके साथ-साथ ही कचरा मुक्त स्थानों पर आकर्षक रांगोली और दीपदान के माध्यम से सफाई मत्र समूह के माध्यम से लोगों को जागरुक कया जा रहा है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग कया और

सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों, बागीचों, खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से कया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अ धकारी एपी संह ने शहरवा सयों से अपील की है क वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान र ववार तो को सफाई मत्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवा सयों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान कया गया है। इस दौरान को वड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान कया गया क जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नही हो पाता है. ऐसे में हमे मास्क का उपयोग, दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

गंदगी फैलाने पर 12 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

रतलाम 10 जनवरी । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर

गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के व भन्न स्थानों पर स्था पत सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पु लस कन्ट्रोल रूम पर 3 पा लयों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार बादशाह स्टील, छावनीवाला, रमेश माणक चौक, राजू भु ा बाजार, जैन रेस्टोरेंट चौमुखी पुल पर 500-500, कन्हैया स्वीट्स चौमुखी पुल पर 300, महावीर स्वीट्स चौमुखी पुल, मूणत, मंगलम् स्टोर, गणेश स्टोर, माँ वैष्णवी माणक चौक पर 250-250 व ज्ञान संह महू रोड बस स्टैण्ड पर 50 रूपये का स्पॉट फाईन कया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह, झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री वनय चौहान आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

नगर के व भन्न स्थानों पर अलाव जलाये

रतलाम 10 जनवरी । सर्द रातों में नागरिकों की सु वधा को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य वभाग द्वारा बाल च कत्सालय, जिला च कत्सालय, रैन बसेरा स वक सेन्टर, पांजरा पोल, महू रोड बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, का लका माता, नगर निगम फायर ब्रिगेड सहित नगर के व भन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहों पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

दिव्यांगजन युडीआईडी प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज जमा करावें

रतलाम 10 जनवरी । समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन यु.डी.आई.डी. प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु नगर निगम वकास शाखा स्थित पेंशन शाखा में आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज फोटो, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, समग्र आई.डी., निःशक्त प्रमाण-पत्र, मोबाईल नम्बर तत्काल कार्यालयीन समय में जमा करावें ।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 10 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के वभन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के वभन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 10 जनवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी

निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-**2021** में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर **1** बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे **4** डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम **10** जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम **2016** के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु **4** डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल-सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डब्बे, पेस्टीसाइड के डब्बे,

सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, संरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिश्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर **5000-5000** हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/**10.01.2021**/न.पा.निगम, रतलाम.